भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-40
उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

पंजीकृत एड-टेक कंपनियां

†40. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से अब तक देश में पंजीकृत एड-टेक कंपनियों से कितना राजस्व सृजित किया गया है;
(ख) क्या सरकार का विचार देश में एड-टेक क्षेत्र के विनियमन के लिए कोई विशेषीकृत नीतिगत ढांचा शुरू करने का है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस नीति को जारी करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या आक्रामक बाजार मूल्य, डेटा सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण आदि की समस्याओं का समाधान करने वाली एक व्यापक नीति सुनिश्चित करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है; और
(ड.) यदि हां, तो जिन मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसक क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ड.): देश में एड-टेक कंपनियां शिक्षा मंत्रालय के पास पंजीकृत नहीं हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने तथा एडटेक कंपनियों सहित ई-कॉमर्स इकाई को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिसूचित किया। इन नियमों का उद्देश्य अनचाही देनदारी को रोकना तथा कानून के अनुपालन की जांच के लिए एक समर्पित तंत्र स्थापित करना है। इसके ब्यौरे https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/E%20commerce%20rules.pdf पर देखी जा सकती है।

शिक्षार्थियों/छात्रों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने एडटेक कंपनियों द्वारा दी की जा रही ऑनलाइन सामग्री के संबंध में छात्रों सहित सभी हितधारकों के लिए विस्तृत

परामर्श भी जारी किया है। इस परामर्श में ज़ोर दिया गया है कि एडटेक कंपनियों, जिन्हें ई-कॉमर्स संस्थाएं माना जा सकता है, को उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 का अनुपालन करना होगा। परामर्श में एडटेक कंपनियों से उत्पाद या सेवाएं चुनते समय शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के लिए क्या करें और क्या न करें सहित कई सुरक्षा उपायों का ब्यौरा दिया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1784582 पर देखी जा सकती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) द्वारा पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विनियमों को अधिसूचित किया है। इन विनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्रता की शर्तें, ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मान्यता प्रक्रिया, एचईआई द्वारा अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक और अन्य गुणवत्ता मानकों का अनुरक्षण शामिल है। यह निजी क्षेत्र के साथ फ्रैंचाइज़ व्यवस्था को प्रतिबंधित करता है और ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अधिकार केवल एचईआई को देता है। इसके ब्यौरे https://www.ugc.ac.in/pdfnews/221580.pdf पर देखे जा सकते हैं।

इसके अलावा, यूजीसी ने दिनांक 16 जनवरी 2022 और 12 दिसंबर 2023 को दो सार्वजनिक नोटिस भी जारी किए हैं, जिसमें छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यक्रम की मान्यता/पात्रता की स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई है।

*****